

18¹¹/₂₅


दिनांक.....

पत्रावली प्रार्थी मनसुखराम के जयिये अधिवक्ता
के मिषल रखी आवेदन पर आजपेयुर्ही
प्रार्थी स्वयं ने उक्त पत्र में मूलवाद को विवे
रूप लिखा है कि अतः आवेदन 212/2008 को
कोई अर्थित्य नहीं है अतः इसी स्तर पर प्रार्थी
का आवेदन अन्तर्गत धारा 212/2008

~~पत्रावली~~
~~पट्टावली~~
C

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व ता
अहकाय जो इ
की तारीख में

खारिज किया जाता है। पत्रावली में प्रप्त
शुभाड लोक नम्बर ६ कम बेल
काविल इफ्तार है। 
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ